बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
बिहार महादलित विकास मिशन
तीसरा तल्ला, न्यू एक्सटेंशन बिल्डिंग, ब्लॉक–3, पुराना सचिवालय, पटना
ईमेल – mail@bmvm.org ; वेबसाइट – www.mahadalitmission.org

ज्ञापांक : 1459

पटना, दिनांक 12/09/2018

दिनांक 12.09.2018 को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक के सभी अपूर्ण सामुदायिक भवन –सह– वर्कशेड के निर्माण को यथाशीघ्र पूर्ण करने, सम्पादित किये गए कार्यों का भौतिक निरीक्षण करने एवं वित्तीय स्थिति के संबंध में आहुत समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

1. **बैठक की उपस्थिति** : संलग्न।
2. **बैठक की कार्यवाही :**

सर्वप्रथम द्वारा दिनांक 04.07.2018 को मिशन कार्यालय में हुई समीक्षात्मक बैठक एवं दिनांक 23.08.2018 को आयोजित विकास मित्रों की प्रशिक्षण कार्याशाला तथा पूर्व की बैठकों में सामुदायिक भवन –सह– वर्कशेड निर्माण से संबंधित लिए गए निर्णय के अनुपालन में अब तक की गयी कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया ।

3. वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक के सामुदायिक भवन –सह– वर्कशेड निर्माण योजना के वर्षवार निर्धारित लक्ष्य, आवंटित राशि, कार्य प्रारंभ की संख्या, पूर्ण इकाई की संख्या तथा अपूर्ण इकाई की संख्या के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की गयी जो निम्नवत है :–

सामुदायिक भवन –सह– वर्कशेड योजना का प्रमंडलवार समीक्षा प्रगति प्रतिवेदन

	(वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक)					
क्रं. सं.	जिला का नाम	कुल लक्ष्य	कुल पूर्ण	अपूर्ण	स्थल विवादित	अभियुक्ति
1	सहरसा	88	46	42		
2	सुपौल	33	23	10		
3	मधेपूरा	98	58	40		
4	पूर्णियाँ	414	394	20		
5	कटिहार	335	327	8		
6	अररिया	28	22	6		
7	किशनगंज	57	55	2		
8	भागलपुर	97	95	2		
9	बांका	77	73	4		
10	मुजफ्फरपुर	66	43	8	15	
11	शिवहर	24	20	4		
12	सीतामढ़ी	110	82	28		
13	वैशाली	90	63	7	20	
14	पूर्वी चम्पारण	78	48	9	21	
15	पं. चम्पारण	108	91	17		
16	सारण	58	48	10		
17	सिवान	61	54	7		

Scanned by CamScanner

18	गोपालगंज	69	53	16		
19	दरभंगा	71	71	0		
20	समस्तीपुर	100	81	1	18	
21	मधुबनी	121	115	6		
22	पटना	92	83	9		
23	नालंदा	120	103	17		
24	भोजपुर	101	40	61		
25	कैमूर (भभुआ)	160	52	108		
26	रोहतास	117	114	3		
27	बक्सर	70	68	2		
28	मूँगेर	62	39	23		
29	बेगूसराय	79	72	7		
30	खगड़िया	36	34	2		
31	शेखपूरा	44	43	0	1	
32	जमुई	91	91	0		
33	लखीसराय	29	22	7		
34	गया	583	393	190		
35	जहानाबाद	43	41	2		
36	औरंगाबाद	69	39	30		
37	नवादा	158	148	10		
38	अरवल	28	24	4		
कुल		**4065**	**3268**	**722**	**75**	

4. प्रस्तुत किये गए विवरणी से यह विदित हुआ की वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक के लिए वर्षवार सामुदायिक भवन –सह– वर्कशेड के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राशि जिलों को आवंटित नही की गयी थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक के लिए इस मद में जिलों को विमुक्त राशि के अनुरूप गणना करते हुए लक्ष्य संशोधित कर लिया जाए। **संशोधित लक्ष्य के विरूद्व इस प्रकार से सारणी तैयार की जाए ताकि वास्तविक रूप से यह स्पष्ट हो सके कि उक्त अवधि में जिलों द्वारा कुल कितनी इकाईयों में कार्य प्रारंभ किया गया, कुल कितने पूर्ण किए गए, कुल कितने अब तक अपूर्ण है तथा कितने इकाईयों पर कार्य प्रारंभ नही किया गया है। साथ ही गया, कैमूर, भोजपुर, सीतामढ़ी, सहरसा, मधेपुरा में सामुदायिक भवन –सह– वर्कशेड के निर्माण की वास्तविक स्थिति के आकलन हेतु मिशन स्तर से टीम भेज कर अविलंब जाँच कराई जाय।**
5. मिशन निदेश द्वारा यह सूचना दी गयी कि उक्त अवधि में आवंटित राशि में से व्यय किए गए राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा जिलों में अवशेष राशि को लौटाए जाने हेतु जिला कल्याण पदाधिकारियों को निदेशित किया गया था। बार–बार निदेश के बावजूद भी कतिपय जिलों से अब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त है। **निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्षवार सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड निर्माण के लिए आवंटित एवं व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र हेतु अंतिम अवसर देते हुये 10 दिनों के अंदर प्राप्त किया जाय। जो परियोजना पदाधिकारी–सह–जिला कल्याण पदाधिकारी निर्धारित समय–सीमा के अंदर उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित करने में असमर्थ होते हैं तो उनके विरूद्ध प्रपत्र–'क' गठित करने की अनुशंसा उनके पैतृक विभाग को भेजी जाय। साथ ही जिन जिलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 से वर्तमान तक सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड निर्माण में उपयोग की गई राशि का**

Scanned by CamScanner

उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं किया है उन जिलों के जिला पदाधिकारी को अनुरोध **करते हुये संबंधित जिलों के लेखा की जाँच करायें तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित न करने तक वेतन अवरूद्ध करने का अनुरोध किया जाय।**

6. उक्त अवधि के सभी ईकाइयों का भौतिक सत्यापन कराते हुए विहित प्रपत्र में एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन मिशन कार्यालय में समर्पित करने हेतु स्पष्ट निदेश के साथ पत्र जिला परियोजना पदाधिकारी –सह– जिला कल्याण पदाधिकारी को तत्काल दिया जाय।
7. जिन विकास मित्रों द्वारा सामुदायिक भवन –सह– वर्कशेड निर्माण हेतु अभिकर्ता के रूप में राशि प्राप्त की गयी है एवं अब तक निर्माण कार्य पूर्ण नही किया गया है, उन्हें अगामी 20 दिनों के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु सूचित किया जाए। **20 दिनों के अन्दर अगर वे निर्माण कार्य पूर्ण नही करते है, तो उनसे राशि वसूली की कार्रवाई करते हुए उन्हें विकास मित्र के पद से चयन मुक्त कर दिया जाये। जिन विकास मित्रों द्वारा राशि प्राप्त करने के उपरांत अब तक कार्य प्रारंभ नही किया गया है, उनसे राशि वसूली की कार्रवाई तत्काल करते हुए उन्हें चयन मुक्त कर दिया जाये।** अपूर्ण इकाईयों को 20 दिनों के अन्दर पूर्ण कराने एवं defaulter विकास मित्रों से राशि की वसूली करने हेतु प्रत्येक जिला परियोजना पदाधिकारी –सह– जिला कल्याण पदाधिकारी को अलग–अलग पत्र के माध्यम से अविलंब निदेश दिया जाये।
8. मिशन निदेशक सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड निर्माण की अद्यतन स्थिति एवं उपरोक्त दिये गये निदेशों के अनुपालन से प्रत्येक सप्ताह अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

12-9-18

(डॉ0 गोपाल सिंह)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक : पटना, दिनांक : ...... / 09 / 2018
प्रतिलिपि : सभी जिला परियोजना पदाधिकारी–सह– जिला कल्याण पदाधिकारी / सभी उपनिदेशक (कल्याण) / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –

मिशन निदेशक

ज्ञापांक : पटना, दिनांक : ...... / 09 / 2018
प्रतिलिपि :लेखा पदाधिकारी–सह– मिशन समन्वयक 2 / मिशन समन्वयक 1 बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –

मिशन निदेशक

ज्ञापांक : बि०म०वि०मि० 25-01/14-1459 पटना, दिनांक : 12 / 09 / 2018
प्रतिलिपि : सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ।

12-9-18

मिशन निदेशक

-1415 -E:Alok>General File>OSD New Letter6:50:00 PM

Scanned by CamScanner